रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256811
CG-DL-E-31082024-256811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 487]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/ भाद्र 8, 1946
No. 487]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/ BHADRA 8, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2024

सा. का. नि. 527(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 (2008 का 34) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, निरीक्षक और उप-निरीक्षक (समूह "ख" के पद) भर्ती नियम, 2013 को जहाँ तक इसका संबंध निरीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, में निरीक्षक (समूह "ख" पद) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, निरीक्षक (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें, वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहर्ता: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निरीक्षक	*164(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400रूपये)	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के दशा में लागू होंगे या नहीं।	परिवीक्षा के अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में ऐसे उप-निरीक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रूपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और चार सप्ताह का अन्वेषण/ प्रचालन या आसूचना से संबंधित प्रक्रिया में अनिवार्य वृतिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहर्क या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400-1,12,400 रूपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी शाखा में स्नातक की डिग्री; और (ii)आपराधिक मामलों या आसूचना कार्य या प्रचालन या सूचना प्रौद्योगिकी मामलों या किसी पुलिस के आसूचना	समूह 'ख'विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. महानिरीक्षक,राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- अध्यक्ष; 2. उप महानिरीक्षक,राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- सदस्य; 3.पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

अभिकरणों/विशेषीकृत आसूचना प्रकोष्ठ या प्रवर्तन अभिकरण में आतंकविरोधी या सतर्कता संग्रहण में प्रशिक्षण के मामलों के अन्वेषण का कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1 : आसूचना में अनुभव के प्रयोजन के लिए, केवल ऐसा अनुभव अर्हक होगा, जिसे पुलिस के आसूचना अभिकरणों/विशेषीकृत आसूचना प्रकोष्ठ या प्रवर्तन अभिकरण में कार्य करने के माध्यम से प्राप्त किया गया हो । टिप्पण 2 : आमेलित किए गए निरीक्षकों की कुल संख्या या बल, निरीक्षक के कुल स्वीकृत पदों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 :पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 4 :प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधरणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहों होगी ।		

[फा. सं.: 45021/04/2022-एनआईए]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2024.

G.S.R. 527(E).–In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Inspector and Sub-Inspector (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2013 in so far as they relate to the post of Inspector except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Group 'B' Post) in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency,Inspector (Group "B" Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in Pay matrix. – The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. –No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inspector.	*164 (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group – 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 7 (Rs.44,900-1,42,400) in the pay matrix	Selection	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruit.	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion / by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable.	(i) Fifty percent by promotion failing which by deputation. (ii) Fifty percent by deputation/absorption.

In case of recruitment by promotion/ deputation or absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Sub-Inspector in National Investigation Agency with five years' regular service in the Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix and have successfully completed mandatory professional training in investigation/ operations or intelligence related procedure for four weeks. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/Absorption: Officers of the Central Government or State Government or Union Territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii)with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) in the pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised university/ Institute; and (ii)two years' experience in handling of cases of investigation of criminal cases, or intelligence work or operations or Information Technology cases or Training in counter terrorism or vigilance collection in intelligence Agencies/ specialised Intelligence wing of a police or enforcement agency. Note 1.- For the purpose of experience in intelligence, only such experience would qualify which has been acquired through working in Intelligence Agencies/specialised intelligence wing of a police or enforcement agency. Note 2.- The total number or Strength of Inspector absorbed shall not exceed twenty percent of the total sanctioned posts of Inspector. Note 3.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be	Group 'B' Departmental Promotion (for considering promotion) consisting of: 1. Inspector General, National Investigation Agency – Chairman; 2. Deputy Inspector General, National Investigation Agency – Member; 3. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

eligible for consideration for appointment by Promotion. Note 4.- Period of deputation (including short term contract), including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. 45021/04/2022-NIA]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA